1. मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली

वित्तीय बाजार :

वित्तीय बाजार एक व्यापाक बाजार है, जहाँ अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तिपयों जैसे–मुद्राओं, शेयर, बॉण्ड्स डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय विपत्रों एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय–विक्रय किया जाता है। वित्तीय बाजार का प्राथमिक कार्य पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का गतिशीलन सुनिश्चित करना है। वित्तीय प्रणाली से आशय वित्तीय बाजार में उपस्थित वित्तीय संस्थाओं से है जो अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम प्रयोग की ओर गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

वित्तीय बाजार के दो प्रमुख अंग है।

1. मुद्रा बाजार
2. पूंजी बाजार

1. मुद्रा बाजार : 'मुद्रा बाजार' एक ऐसा बाजार होता है। जहाँ पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल (सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि) के लिये क्रय–विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा एवं प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। भारत में मुद्रा को 2 भागों में बांटा जा सकता है।

I) संगठित/औपचारिक मुद्रा बाजार
II) असंगठित/अनौपचारिक मुद्रा बाजार

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंन्द्रीय बैंक है इसलिये मुद्रा बाजार को निनियति करने का उत्तरदायित्व इसका ही है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ–साथ प्रमुख नीतिगत दरों का भी निर्धारण करता है। यह भारत में बैंकिंग सरंचना का निर्धारण करता है एवं बैंको के संचालन के लिये नियम–विनियम बनाता है, महत्वपूर्ण ब्याज दरों का निर्धारण कर मुद्रा के प्रवाह को एक दिशा देता है एवं मुद्रास्फीति एवं मुद्र अवस्फीति की समस्या का समाधान करते हुये अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी स्थिति बनाए रखता है।

भारत में संगठित मुद्रा बाजार के तीव्र विस्तार क बावजूद आज भी असंगठित क्षेत्र विद्यमान हैं। असंगठित मुद्रा बाजार में देशी बैंकर्स, महाजन, साहूकर, सेठ, चेट्टी इत्यादि प्रमुख निभाते है।

2.पूंजी बाज़ार :

पूंजी बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से है जहाँ वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का मध्यम एवं दीर्घकाल (सामान्यतया एक वर्ष से अधिक) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार पूंजी एवं बचत आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी निकालकर उन क्षेत्रों तक पूंजी पहुँचाता है जहाँ पूंजी की मांग एवं कमी है। इस प्रकार पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में बचत में वृद्धि करने एवं पूंजी के प्रवाह को उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पूंजी बाज़ार को दो बाजारों में बाँटा जाता है।

1. प्राथमिक पूंजी बाजार
2. द्वितीयक पूंजी बाजार

मुद्रा (Money) :

मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके जरिये वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदी एवं बेची जाती हैं। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए, जो लेखा (Account) की इकाई के रूप में कार्य कर सकती है, क्रय शक्ति का संचय कर सकती है और जिसे ऋण चुकाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक भारतीय समाज में मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ। परंतु औद्योगीकरण व नगरीकरण के विकास ने मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी अर्थात् कागज के नोटों को मुद्रा विनिमय का माध्यम बनाया। अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्राँसिस ए. वॉकर के अनुसार, "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।"

मुद्रा के कार्य (Functions of Money) :

मूल्य का मापक :

मुद्रा ही वह इकाई है, जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। चूँकि कीमत मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जाती है, इस कारण वस्तु का मूल्य भी मौद्रिक रूपों में ही व्यक्त किया जाता है।

विनिमय का माध्यम :

मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करती है। चाहे कोई वस्तु खरीदनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, उसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु एवं सेवा का क्रय-विक्रय आसानी से किया जा सकता है।

स्थगित भुगतानों की माप :

मुद्रा से भविष्य में होने वाले भुगतानों की इकाई का काम भी लिया जा सकता है। अनेक अवस्थाओं में किन्हीं कार्यों आदि का भुगतान बहुत बाद में होता है जैसे कि पेंशन, मूलधन और ब्याज आदि का भुगतान। मुद्रा का मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर रहता है और यह अन्य वस्तुओं की तुलना में टिकाऊ होता है। ऋण और उधार में भी भविष्य में भुगतान के लिये मुद्रा को ही स्वीकार किया जाता है।

मूल्य का संचय :

मूल्य के संचय का अर्थ है धन का संचय। जब मुद्रा को मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता है तो यह सहज ही मूल्य के भंडार का कार्य भी करने लगती है। इसके धारक के पास क्रय-शक्ति का भंडार होता है, जिसे वह जब चाहे वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदने पर खर्च कर सकता है। मुद्रा धन संग्रह का सबसे सुविधाजनक साधन होती है।

मूल्य हस्तांतरण का साधन :

मुद्रा के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। मुद्रा का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मूल्य के स्थानांतरण के लिये किया जाता है। मुद्रा के मूल्य संग्रह के कारण वस्तु के स्थानांतरण की तुलना में मुद्रा का हस्तांतरण सरल एवं वहनीय है।

साख का आधार :

मुद्रा साख का आधार है। वर्तमान में साख पत्रों का प्रयोग मुद्रा की ही तरह होता है। मुद्रा के आधार पर ही साख पत्रों को जारी किया जाता है। साख पत्रों (चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि) के द्वारा ही बैंक साख का निर्माण करते हैं।

मुद्रा के प्रकार (Types of Money)

लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा (Accounting Money or Proper Money) :

लेखा मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके रूप में ऋण, वस्तुओं का मूल्य और क्रय शक्ति आदि व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस मुद्रा का प्रयोग लेन-देन, कीमत और कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में होता है, लेखा मुद्रा कही जाती है, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल एवं इंडोनेशिया की लेखा मुद्रा रुपया तथा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देशों की लेखा मुद्रा डॉलर है।

जबकि वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा होती है, जो वास्तव में व्यवहार में नोटों एवं सिक्कों के रूप में प्रचलन में होती है। देश में जितनी प्रकार की मुद्राएँ प्रचलन में होती हैं, वे सभी वास्तविक मुद्राएँ होती हैं। उदाहरणार्थ-भारत में प्रचलित एक रुपये के सिक्के से लेकर 2000 रुपये के कागजी नोट तक सभी वास्तविक मुद्राएँ हैं।

वैधानिक मुद्रा (Legal Tender) :

वैधानिक मुद्रा वह है जो विधान या सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है तथा जिसे स्वीकार करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति/ऋणदाता बाध्य होता है। इसको लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जाता है। सरकार एवं केंद्रीय बैंक (भारत में रिजर्व बैंक) द्वारा जारी किये गए सभी नोट एवं सिक्के वैधानिक मुद्रा हैं, क्योंकि इन्हें भुगतान में स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता होती है। वर्तमान में लगभग सभी देशों की मुद्रा वैधानिक मुद्रा होती है।

ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा (Optional Money or Credit Money) :

यह वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा न करना पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है अर्थात् इस मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिये वैधानिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र आदि।

ऐच्छिक मुद्रा को 'साख मुद्रा' तथा 'बैंकिंग मुद्रा' भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी-न-किसी की साख पर चलती है, जैसे- चेक, चेक जारी करने वाले की साख पर, बैंक ड्राफ्ट बैंक की साख पर, हुंडी एवं विनिमय पत्र व्यापारियों की साख पर चलते हैं।

सांकेतिक मुद्रा (Token Money) :

यह वह मुद्रा होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। यह सस्ती धातु से बनी होती है। उदाहरण- भारतीय सिक्के।

प्रामाणिक मुद्रा (Standard Money) :

यदि सिक्के का वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे 'प्रामाणिक मुद्रा' कहते हैं। सोने और चांदी के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा हो होते हैं।

प्लास्टिक मनी (Plastic Money) :

विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किये गए डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड आदि को 'प्लास्टिक मनी' कहा जाता है। डेबिट कार्ड के द्वारा बैंक खाते में जितनी धनराशि जमा हो उतने तक ही खरीदारी या निकासी की सुविधा होती है जबकि क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में धनराशि न होने पर भी कुछ निकासी या खरीदारी की जा सकती है।

नजदीकी मुद्रा (Near Money) :

वह संपत्ति, जो ऐसे रूप में हो जिसे जल्दी तथा आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, नजदीकी मुद्रा या समीपस्थ मुद्रा कहलाती
है, जैसे- सोना और चांदी।

गर्म मुद्रा (Hot Money) :

उस मुद्रा को हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है अर्थात् जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएँ अधिक होती हैं, उसी स्थान पर यह स्थानांतरित हो जाती हैं, जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएँ। गर्म मुद्रा के अंतर्गत निवेशक अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों एवं प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

दुर्लभ मुद्रा एवं सुलभ मुद्रा (Hard Currency and Soft Currency) :

विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती हैं, उसे दुर्लभ मुद्रा (Hard Currency) कहते हैं, जैसे- अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पौंड, यूरोपीय संघ का यूरो इत्यादि।

इसके विपरीत जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसे सुलभ मुद्रा (Soft Currency) कहते हैं।

कॉशन मनी (Caution Money) :

किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिये जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को 'कॉशन मनी' कहते हैं।

धातु मुद्रा (Metallic Money) :

धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा की विशेषता यह है कि इसमें बाह्य मूल्य (Face Value) के साथ-साथ आंतरिक मूल्य (Intrinsic Value) भी सन्निहित होता है। बाह्य मूल्य से आशय मुद्रा पर अंकित मूल्य जबकि आंतरिक मूल्य से आशय धातु में निहित मूल्य से होता है। पहले सोने, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का चलन मुद्रा के रूप मुद्रा बाज़ार में था, जबकि वर्तमान में गिल्ट, तांबे आदि धातुओं का प्रयोग धातु मुद्रा में किया जाता है। धातु मुद्रा को सिक्का भी कहते हैं।

कागजी मुदा (Paper Money) :

कागती मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र (मैं धारक को ..... (जितने मूल्य को नोट है) अदा करने का वचन देता है। है जिसके माध्यम से निर्गमन अधिकारी (केंद्रीय बैंक या सरकार) धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। इसका निर्गमन एक निश्चित विधान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें केवल बाह्य मूल्य होता है. आंतरिक मूल्य बहुत कम होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) :

- भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को सम्मिलित करते हुए समस्त बैंकिंग कार्य-कलापों के नियंत्रण, नियमन और निरीक्षण का कार्य करता है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। इसके बाद 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने की सिफ़ारिश की। इन दोनों समितियों की सिफ़ारिशों को आधार बनाते हुए 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 पारित किया गया। इसके तहत 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक प्रारंभ में शेयर धारकों के बैंक के रूप में निजी क्षेत्र के अंतर्गत था, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी समय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 बनाया गया।
- उल्लेखनीय है कि भारत में कार्यरत व्यापारिक बैंक निम्न दो अधिनियमों के तहत संचालित होते हैं-
  1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
  2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। 1937 से पूर्व रिजर्व बाक का केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को ही प्राप्त है। भारत में 1रू के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते है। 1रू के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते है।

- 1 रुपये से ऊपर के नोट एवं सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं। एक रुपये से ऊपर के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में भारत में ₹1 और ₹2 के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया है।
- रिजर्व बैंक का केंद्रीय निदेशक बोर्ड इसके कारोबार का पर्यवेक्षण करता है। इस बोर्ड के अंतर्गत 1 गवर्नर और 4 उप-गवर्नर होते हैं। बोर्ड की 1 वर्ष में 6 बैठकें तथा प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम 1 बैठक होती है। इस बोर्ड को रिजर्व बैंक के निरीक्षण का प्राथमिक अधिकार है। भारतीय रिज़र्व बैंक के 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 04 उप-कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं।
- **न्यूनतम कोष प्रणाली:** वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है। इस प्रणाली के तहत जारी किये जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिज़र्व बैंक को कुल ₹200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें ₹115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण तथा ₹85 करोड़ की विदेशी मुद्रा शामिल हैं। वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को 1957 में अपनाया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्य (Major Functions of RBI) :

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में भारतीय रिज़र्व बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किये गए हैं-

"भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिये आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।"

- मौद्रिक नीति का संचालन करना: भारतीय रिजर्व बैंक भारत में अर्थव्यवस्था के लिये मौद्रिक नीतियाँ तैयार करता है तथा उसकी निगरानी करता है। साथ ही विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के साथ नकदी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
- साख नियंत्रण: सुव्यवस्थित आर्थिक संवृद्धि को सुनिश्चित करने, विशेषीकृत वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संस्थाओं की स्थापना करने के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा व साख की मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। (यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्य साख सृजन करना नहीं होता, बल्कि साख नियंत्रण होता है। साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंक करते हैं।)
- मुद्रा जारीकर्त्ता: भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में मुद्रा जारी करता है, उसका विनियमन करता है तथा परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करता है। साथ ही रिज़र्व बैंक सरकार को नवीनतम सुरक्षा विशेषताओं वाले करेंसी नोटों की डिजाइनिंग की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- बैंकों के बैंक के रूप में: रिज़र्व बैंक समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता दैनिक आधार पर सुनिश्चित करता है तथा सभी बैंकों के लिये अंतिम उधारदाता की भूमिका निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते व्यवस्थित करता है तथा भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को भी संचालित करता है।

- भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करना: भारतीय रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग परिचालन के विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण, परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार तथा बैंकों के लिये लाइसेंस जारी करता है। बैंकिंग व्यवस्था में लोगों के विश्वास को बनाए रखने, जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है।
- सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका अदा करना: भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के खाते प्रबंधित करने के साथ-साथ उनके लिये व्यापारिक बैंक की भूमिका निभाता है। इसके द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार के विकास और व्यवस्थित कार्य संचालन को बढ़ावा दिया जाता है तथा यह केंद्र और राज्य सरकार को बेहतर नकदी प्रबंधन की सलाह देता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण: भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास को बनाए रखने के साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत समस्त विदेशी मुद्राओं के भंडार का संरक्षण एवं प्रबंधन करता है।
- विदेशी विनिमय दर का नियमन: भारतीय रिजर्व बैंक भारत में विदेशी निवेश तथा विदेशों में भारतीय निवेश को सुसाध्य बनाने के लिये विदेशी व्यापार एवं भुगतानों के लिये नीति निर्माण करता है तथा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण एवं नियमन करता है।
- विकासात्मक भूमिका: भारतीय रिजर्व बैंक तीव्र आर्थिक संवृद्धि एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई विशेषीकृत वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों की स्थापना की गई है, जैसे-भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक इत्यादि।

मौद्रिक नीति (Monetary Policy):

मौद्रिक नीति एक व्यापक अवधारणा है। आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिणामों को विनियमित करने के लिये मौद्रिक साधनों के उपयोग को सूचित करती है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में 'व्यय निवेश प्रवाह' के समायोजन के माध्यम से कार्य करती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता अर्थात् मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर को प्रभावित करने वाली नीतियाँ, मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह एवं प्रचालन की मात्रा को विनियमित किया जाता है। मौद्रिक नीति का संचालन केंद्रीय बैंक (भारत में भारतीय रिजर्व बैंक) करता है

मौद्रिक नीति प्रक्रिया (Monetary Policy Process)

केंद्र सरकार द्वारा धारा 45ZB के तहत गठित 'मौद्रिक नीति समिति' मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिये आवश्यक पॉलिसी ब्याज दर निर्धारित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति निर्माण में मौद्रिक नीति समिति की सहायता करता है। अर्थव्यवस्था के सभी स्टेकधारकों के विचारों

और रिज़र्व बैंक के विश्लेषणात्मक कार्य से पॉलिसी रेपो रेट पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है। वित्तीय बाजार समिति चलनिधि की समीक्षा करने के लिये दैनिक आधार पर बैठक करती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मौद्रिक नीति (भारित औसत ऋण दर) का परिचालन लक्ष्य नीति रेपो दर के आस-पास रखा जा सके। वर्तमान मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं। अप्रैल 2014 से पूर्व एक वित्तीय वर्ष में आठ बार (अर्थात् चार तिमाही और चार मध्य तिमाही) मौद्रिक नीतियों की घोषणा की जाती थी परंतु अप्रैल 2014 के पश्चात से एक वित्तीय वर्ष में छह बार (अर्थात् द्विमासिक) मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य (Objectives of Monetary Policy) :

मौद्रिक नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता को बनाए रखना होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने एवं मंदी की अवस्था व मुद्रा अवस्फीति से निकलने के लिये मौद्रिक नीति सबसे महत्त्वपूर्ण अस्त्र है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को संतुलित करती है एवं ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि कर आर्थिक संवृद्धि की दर को तीव्र करती है।

मौद्रिक नीति के उपकरण (Instruments of Monetary Policy) :

मौद्रिक नीति के उपकरण अथवा विधियाँ (Instruments or Methods of Monetary Policy)	
मात्रात्मक उपकरण (Quantitative Instruments)	गुणात्मक उपकरण (Qualitative Instru
• बैंक दर (Bank Rate) • रेपो दर (Repo Rate) • रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) — RBI की नीतिगत दरें • नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio) • वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio) — RBI की नीतिगत • खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)	• सीमांत आवश्यकता (Margin Requirement) • साख की राशनिंग (Rationing of Credit) • नैतिक प्रभाव (Moral Suasion)

मात्रात्मक उपकरण (Quantitative Instruments) :

मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण वे उपकरण हैं, जिनका संबंध अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा की पूर्ति से होता है। मात्रात्मक उपकरणों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी करता है। इन मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा की पूर्ति मुद्रास्फीति के दौरान घटती तथा अवस्फीति के दौरान बढ़ती है।

बैंक दर (Bank Rate) :

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत बैंक दर वह दर है. जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बिलों (Bil बैंक Exchange) या अन्य वाणिज्यिक पत्रों (Other Commercial Papers) को खरीदने या बदलने या पुनर्बट्टा (Rediscount) करने के लिये तैयार रहता है। बैंक वर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंको को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक दर व्यापारिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इस दर के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक साख की उपलब्धता तथा साख की लागत को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार रिज़र्व बैंक बैंकों की साख सृजन शक्ति को प्रभावित कर सकता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिये बैंक दर को बढ़ाया जाता है और मुद्रा अवस्फीति का सामना करने के लिये बैंक दर को कम किया जाता है।

बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव

बैंक दर में वृद्धि ↑ करने पर

↓

वाणिज्यिक बैंक, RBI से दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे,
बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात् तरलता में कमी

↓

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि

↓

निवेशकत्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी अर्थात् अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी

↓

उपभोग व्यव एवं निवेश व्यव में गिरावट अर्थात् समग्र मांग में कमी

↓

वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी (मुद्रास्फीति नियंत्रण)

बैंक दर में कमी का प्रभाव

बैंक दर में कमी ↓ करने पर
↓
वाणिज्यिक बैंक, RBI से दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे,
बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात् तरलता में वृद्धि
↓
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कमी
↓
निवेशकत्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी अर्थात् अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि
↓
उपभोग व्यव एवं निवेश व्यव में गिरावट अर्थात् समग्र मांग में वृद्धि
↓
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि (मुद्रा अवस्फीति नियंत्रण)

रेपो दर (Repo Rate) :

रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। रेपो दर वह निर्धारित व्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक (Collateral) के विरुद्ध और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाइट चलनिधि प्रदान करता है। सामान्य शब्दों में, भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नीतिगत दरों के रूप में करके प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिये किया जाता है।

रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव

रेपो दर में वृद्धि ↑ करने पर
↓
वाणिज्यिक बैंक, RBI से अल्पकालीन ऋण कम मात्रा में लेंगे और
इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात् तरलता में कमी
↓
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि
↓
निवेशकर्त्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में
कमी अर्थात् अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी
↓
उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात् समग्र मांग में कमी
↓
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी अर्थात् मुद्रास्फीति नियंत्रण

रेपो दर में कमी का प्रभाव

रेपो दर में कमी ↓ करने पर
वाणिज्यिक बैंक, RBI से अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में लेंगे
और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात् तरलता में वृद्धि
↓
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्याज दरों में कमी
↓
निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में वृद्धि
अर्थात् अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि
↓
उपयोग व्यय एवं निवेश व्यय में वृद्धि अर्थात् समग्र मांग में वृद्धि
↓
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि अर्थात् मुद्रा अवस्फीति नियंत्रण

नोट:

- बैंक दर का प्रयोग RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिये जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों के लिये किया जाता है।
- रेपो दर का प्रयोग RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋणों के लिये किया जाता है।

रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) :

रिवर्स रेपो दर वह निर्धारित ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक (Collateral) के विरूद्ध ओवरनाइट आधार पर चलनिधि को अवशोषित करता है। सामान्य शब्दों में, रिवर्स रेपो दर वह दर है. जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिये गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने के लिये किया जाता है।

रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव

रिवर्स दर में वृद्धि ↑ करने पर
↓
वाणिज्यिक बैंक, RBI को अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे
और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात् तरलता में कमी
↓
बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणामस्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि
↓
निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी अर्थात् अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी
↓
उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात् समग्र मांग में कमी
↓
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी अर्थात् मुद्रास्फीति नियंत्रण

रिवर्स रेपो दर में कमी का प्रभाव

रिवर्स दर में कमी ↓ करने पर

↓

वाणिज्यिक बैंक, RBI को अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे

और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात् तरलता में वृद्धि

↓

बाजार में तरलता में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप ब्याज दरों में कमी

↓

निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में वृद्धि अर्थात् अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि

↓

उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में वृद्धि अर्थात् समग्र मांग में वृद्धि

↓

वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि अर्थात् मुद्रा अवस्फीति नियंत्रण

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR) :

बैंकों को ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अपनी कुल जमा (निवल मांग एवं समय देयता-NDTL) का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात (CRR) कहते हैं। सामान्य शब्दों में, नकद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं के उस अनुपात से है जो वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिये इसमें समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है। नकद आरक्षित अनुपात की मात्रा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बैंकों को नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिये कवच की भाँति कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात की राशि पर कोई ब्याज नहीं देता। नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कई गुना कमी हो जाती है। अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय भारतीय रिजर्व बैंक, CRR को बढ़ा देता है और इससे तरलता को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कमी के कारण वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाती है तथा इससे तरलता में वृद्धि करके मुद्रा अवस्फीति को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिये-

बैंकों के पास जमा राशि	CRR	**बैंकों के पास लोगों को ऋण देने के लिये उपलब्ध फंड या तरलता**
माना रू 100	4 प्रतिशत	रू 96
माना रू 100	10 प्रतिशत	रू 90

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि का प्रभाव

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि ↑करने पर
↓
वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी
↓
वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी
↓
बैंकों के पास तरलता में कमी एवं ब्याज दर में वृद्धि
↓
निवेशकर्ताओं तथा परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी
अर्थात् उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट
↓
अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी
↓
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी अर्थात् मुद्रास्फीति नियंत्रण

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कमी का प्रभाव

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कमी ↓ करने पर
↓
वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी होगी
↓
वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि
↓
बैंकों के पास तरलता में वृद्धि एवं ब्याज दर में कमी
↓
निवेशकर्ताओं तथा परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी
अर्थात् उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट
↓
अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि
↓
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि अर्थात् मुद्रा अवद्रास्फीति नियंत्रण

वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR) :

- व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा (निवल मांग एवं समय देयता-NDTL) का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन अभारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, जिसे वैधानिक/सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) कहते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के एक उपकरण के रूप में इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है।
- अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) को बढ़ाकर बैंकों की साख सृजित करने की क्षमता को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। वैधानिक

तरलता अनुपात में कमी किये जाने से बैंकों को अपनी जमाओं का अपेक्षाकृत कम भाग सरकार के पास रखना पड़ता है, जिससे बैंकों के पास उधार देने के लिये अधिक राशि उपलब्ध हो जाती है। उदाहरण के लिये-

बैंकों के पास जमा राशि	SLR	**बैंकों के पास लोगों को ऋण देने के लिये उपलब्ध फंड या तरलता**
माना रू 100	19.5%	80.5 रू
माना रू 100	30%	70 रू

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में वृद्धि का प्रभाव

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में वृद्धि ↑ करने पर
↓
वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी,
जिससे बैंकों के पास तरलता में कमी होगी।
↓
वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी एवं ब्याज दरों में वृद्धि
↓
निवेशकर्ताओं तथा परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी
अर्थात् उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट
↓
अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी
↓
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी अर्थात् मुद्रास्फीति नियंत्रण

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में कमी का प्रभाव

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में कमी ↓ करने पर
↓
वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी होगी,
जिससे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी।
↓
वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि एवं ब्याज दरों में कमी
↓
निवेशकर्ताओं तथा परिवारों द्वारा साख की मांग में वृद्धि
अर्थात् उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में वृद्धि
↓
अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि
↓
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी अर्थात् मुद्रा अवस्फीति नियंत्रण

खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations) :

खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय-विक्रय करता है। खुले बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद या बिक्री, अर्थव्यवस्था में चलनिधि अर्थात् तरलता को डालने या अवशोषित करना क्रमशः दोनों शामिल होते हैं।

सरकार से बैंक तथा सार्वजनिक ऋण के प्रबंधक के रूप में भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है. परंतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय बाजार में वास्तविक क्रय-विक्रय नहीं होता है। यह केवल एक आंतरिक व्यवस्था होती है, जो कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच में होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा यह क्रिया सरकार के एक एजेंट के रूप में की जाती है।

खुले बाजार की क्रियाएँ

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय

साख नियंत्रण के उपकरण के रूप में

साख नियंत्रण के उपकरण के रूप में खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत खुले बाजार में (बैंकों तथा जनता) सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता (मुद्रा) का डालना या निकालना होता है अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के रूप में खुले बाजार की क्रियाएँ तरलता के समायोजन से संबंधित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अर्थात् तरलता में वृद्धि हो जाती है जिससे अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होता है। इसके विपरीत जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अर्थात् तरलता में कमी हो जाती है जिससे अर्थव्यवस्था में साख का संकुचन होता है। यदि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को रोकना चाहता है तो यह बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है, ताकि अतिरिक्त द्रव्यता/तरलता का लोगों से केंद्रीय बैंकों को स्थानांतरण हो जाए। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाने और मुद्रा संकुचन से लड़ने के लिये प्रतिभूतियों को क्रय करना शुरू कर देता है।

गुणात्मक उपकरण (Qualitative Instruments) :

मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण साख के प्रवाह को आर्थिक क्रिया के निर्दिष्ट या विशेष क्षेत्रों में बढ़ाने या घटाने पर केंद्रित है। ये उपकरण साख को किसी विशेष उपयोग में दिशा प्रदान करते हैं अर्थात् ये मुद्रा एवं तरलता के प्रवाह को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करते हैं।

चयनात्मक साख नियंत्रण (Selective Credit Control) :

'चयनात्मक साख नियंत्रण' से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के कुछ चयनात्मक क्षेत्रों से संबंधित केंद्रीय बैंक की एक भेदमूलक नीति से है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं एवं गैर-प्राथमिक क्षेत्रों के लिये साख देने पर रोक लगाना या उन्हें हतोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने के लिये साख के प्रवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरणों या चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग
किया जाता है।

सीमांत आवश्यकता (Margin Requirement):

वाणिज्यिक बैंक ऋण लेने वालों को कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों (अर्थात् जमानत) के बदले ऋण प्रदान करते हैं। सामान्यतया इस जमानत का मूल्य स्वीकृत ऋण से अधिक होता है। बंधक रखी गई संपत्ति और उसके आधार पर दिये गए ऋण के बीच अंतर को 'सीमांत आवश्यकता' या 'ऋण मार्जिन' कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहता है, वहाँ सीमांत आवश्यकता अर्थात् ऋण मार्जिन घटा देता है और जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को कम करना चाहता है, वहाँ ऋण मार्जिन बढ़ा देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस विधि का प्रयोग मुद्रास्फीति के समय करता है। इसमें सीमांत आवश्यकता को बढ़ाकर साख की पूर्ति को कम किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित की जा सकती है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा/साख की पूर्ति में वृद्धि की जा सके।

साख की राशनिंग (Rationing of Credit):

साख की राशनिंग के अतंर्गत भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण देने की अधिकतम सीमाएँ निर्धारित करता है। ऋण देते समय वाणिज्यिक बैंक इस कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। यह सीमा या तो किसी उपयोग विशेष के लिये अथवा सामूहिक आधार पर तय की जाती है। जैसे-सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वितरित करना आवश्यक है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कुल ऋण का 18 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को दिया जाता है।

इसके अतंर्गत भारतीय रिजर्व बैंक विभेदात्मक ब्याज की दर की नीति अपनाकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिये ब्याज की दर कम करके ऋण के प्रवाह को बढ़ा सकता है और यदि किसी क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को कम करना होता है तो वहाँ ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाता है।

नैतिक प्रभाव (Moral Suasion) :

यह केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अपनी नीतियों का अनुपालन कराने की दृष्टि से जारी किये गए उपदेशों और दबावों का मिला-जुला स्वरूप है अर्थात् इसे विचार-विमर्श, पत्रों, अभिभाषणों तथा बैंकों को संकेतात्मक संदेशों के माध्यम से व्यावहारिक रूप दिया जाता है और केंद्रीय बैंक समय-समय पर अपनी

नीतिगत स्थिति की घोषणा कर बैंकों से उसके अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा करता है। मुद्रास्फीति के समय बैंकों को ऋणों को सीमित करने तथा अवस्फीति के दौरान उदारता से ऋण देने का केंद्रीय बैंक द्वारा परामर्श दिया जाता है।

तरलता/चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility-LAF) :

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित नरसिंहम समिति (Narsimham Committee) की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2000 में तरलता समायोजन सुविधा (LAF) को अपनाया गया। तरलता समायोजन सुविधा मौद्रिक नीति का एक प्रमुख अस्त्र है, जिसकी मदद से भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय बाजार की अलग-अलग दशाओं में अल्पकालीन तरलता के बहाव को नियमित व नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तरलता समायोजन सुविधा की मदद से रिजर्व बैंक दैनिक आधार पर बाजार तरलता का प्रबंधन करने में सफल होता है तथा बाजार को व्याज दर संकेत देने में सक्षम होता है। तरलता समायोजन सुविधा के द्वारा बैंकों को पुनर्क्रय समझौते के द्वारा ऋण लेने एवं देने की सुविधा प्रदान की जाती है। तरलता समायोजन सुविधा का कार्य रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर के माध्यम से होता है। तरलता समायोजन सुविधा की सहायता से नियमित तरलता चक्रों को स्थिर करने में सफलता मिलती है, इससे बैंक अपनी समायोजन सुविधा की सहायता से भारतीय रिजर्व बैंक बातार परिस्थितियों के अनुसार ब्याज दरों की संरचना में समायोजन आसानीपूर्वक कर सकता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility-MSF) :

- MSF की अवधारणा मई 2011 से प्रभावी हुई। MSF ब्याज की वह दर है, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से अपने शुद्ध जमा [निवल मांग और समय देयता (Net Demand and Time Liability)] का 1 प्रतिशत रातभर के लिये (Overnight) ऋण ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा की शुरुआत संपत्तियों तथा दायित्वों के बीच होने वाले अल्पकालीन असामंजस्य को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने, वित्तीय प्रणाली में मौद्रिक व्यवहारों के संचालन तथा अंतःबैंक दरों में एक दिन के भीतर होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने के लिये की है। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के ख़िलाफ़ सुरक्षा वॉल्व प्रदान करता है।
- सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Bank) ही रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त कर सकते हैं एवं इसके अंतर्गत ऋण लेने के लिये वैधानिक तरलता अनुपात कोटा के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूतियाँ गिरवी रखी जा सकती हैं।

प्रधान उधार दर (Prime Lending Rate-PLR) :

'प्रधान उधार दर' वह ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देने के लिये तैयार होते हैं। इस प्रकार के ऋणों में जोखिम बहुत ही कम होता है। यह वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक अपनी सभी लागतें और व्यय को पूरा कर लेता है और कुछ प्रतिफल भी प्राप्त कर सकता है। यह एक उधार दर के रूप में कार्य करती है जिसको ध्यान में रखकर बैंक अन्य उद्यमियों एवं ऋणों के

संबंध में ब्याज दर निर्धारित करता है। प्रधान उधार दर (PLR) को ही बेंचमार्क प्रधान उधार दर (BPLR) भी कहा जाता है।

आधार दर (Base Rate) :

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधान उधार दर (PLR) आधारित उधार देय प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर (Base Rate) प्रणाली को लागू किया है। आधार दर वह ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण नहीं प्रदान करेंगे।

इससे पूर्व की बेंचमार्क प्रधान उधार दर (BPLR) में बैंक प्रधान उधार दर से नीचे भी ऋण दे सकते थे। इससे कर्जदाता बैंक के साथ सौदेबाजी एवं मोल-भाव करते थे एवं अलग-अलग कर्जदाताओं के लिये ब्याज की दरें भी अलग-अलग हो जाती थीं। इससे ऋण बाजार में पारदर्शिता का अभाव रहता था। आधार दर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बैंकों के उधार देने की दरों में पारदर्शिता लाना है। वर्ष 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके विनियमन के बाद बैंक अपना आधार दर खुद ही तय कर सकते हैं। इसलिये अलग-अलग बैंकों की आधार दर उनकी ऑपरेशनल लागत के अनुसार अलग-अलग होती है। बैंक अपनी आधार दर से कम दर पर लोन नहीं दे सकते हैं।

सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (Marginal Cost of Funds based Lending Rate-MCLR) :

भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों द्वारा उधार दर तय करने की नई पद्धति सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (MCLR) को अपनाया है। यह 01 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि बैंकों के उधार दरों में नीति दरों के संचारण को बेहतर बनाने में मदद करने के अलावा, ये उपाय अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिये बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में मददगार होगी। इससे ऐसी ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो उधारकर्ताओं के साथ-साथ बैंकों के लिये भी उचित हो। इसके साथ ही ऋणों की सीमांत लागत के कीमत निर्धारण से बैंक और अधिक प्रतिस्पर्धा होकर काम कर पाएंगे और इससे दीर्घावधिक में बैंकों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

एमसीएलआर की मुख्य विशेषताएँ एवं दिशानिर्देश :

- यह समय आधारित आंतरिक बेंचमार्क होगा जिसका पुनर्निर्धारण एक वर्ष या उससे कम अवधि में किया जाएगा।
- सभी बैंक प्रत्येक माह में पहले से घोषित तिथि को विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली अपनी एमसीएलआर को समीक्षा करेंगे और उन्हें जारी करेंगे।
- मौजूदा कर्जदार को पारस्परिक रूप से 'सहमत शर्तों' पर एमसीएलआर से संबद्ध ऋण में परिवर्तित करने का विकल्प होगा।
- वास्तविक उधार दरों का निर्धारण एमसीएलआर के साथ स्प्रेड (Spread) के घटकों को जोड़कर किया जाएगा।
- पूर्व की भाँति, बैंकों द्वारा आधार दर की समीक्षा और प्रकाशन किया जाना जारी रहेगा।

विभेदात्मक ब्याज दर योजना (Differential Rate of Interest Scheme) :

1972 में शुरू की गई विभेदात्मक ब्याज दर योजना (DRI Scheme) के तहत बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने समग्र ऋण का कम-से-कम । प्रतिशत अंश निर्धन व्यक्तियों एवं कम आय वर्ग को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर आवंटित करें। विभेदात्मक ब्याज दर योजना का उद्देश्य समाज के कम आय वर्ग वाले अर्थात् निर्धन वर्ग को बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है जिससे वे इस ऋण की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके एवं अपने लिये स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर सके। 1992 में गरीबों के लिये 'स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम' (Self Help Group Bank Linkage Programme-SBLP) लाया गया। यह कार्यक्रम विभेदात्मक ब्याज दर योजना के लक्ष्यों को न पाने के कारण ही प्रारंभ किया गया। परंतु यह अपने निर्धारित लक्ष्य (ऋण योग्य निधि का 1 प्रतिशत) को प्राप्त नहीं कर सका।

बाजार स्थिरीकरण योजना (Market Stabilisation Scheme) :

मौद्रिक प्रबंधन के लिये बाज़ार स्थिरीकरण योजना को वर्ष 2004 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में पूंजी के बाज़ार में आने एक से ज्यादा समय तक रहने वाली अतिरिक्त नकदी को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति और राजकोष बिलों के ज़रिये कम (अवशोषित) किया जाता है। इस प्रकार जुटाए जाने वाले नकदी को रिज़र्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है। इस प्रकार बाजार स्थिरीकरण योजना में वैधानिक तरलता अनुपात तथा नकद आरक्षित अनुपात दोनों की विशेषताएँ है। सामान्य शब्दों में बाज़ार स्थिरीकरण योजना का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडारों में होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप जनित अतिरिक्त तरलता को इकट्ठा करना है ताकि पूंजी अंतप्रवाहों के मौद्रिक प्रवाहों को निष्क्रिय किया जा सके।

VIDYA ICS
Dedicated To Civil Services